संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक/2815 /स्था/नग्रानि/2014 भोपाल, दिनांक 16-6-14

//कार्यालयीन आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ–6– 1/2002/अ.प्र.1/भोपाल,दिनांक 19 सितम्बर 2002 में निहित निर्देशों के अनुसार (प्रीमीटिव ट्राइव का होने के कारण) दिये गये विशेष सुविधा में छानबीन समिति द्वारा पदों की पूति हेतु म.प्र. आवास एवं पर्यावरण विभाग आकस्मिकता व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भरती तथा शर्ते नियम 1976 में उल्लेखित नियम 8 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवा का अस्थाई सदस्य मानकर श्री सुरेश बैगा (अनुसूचित जनजाति बैगा) को रिक्त **चौकीदार** के पद पर वेतनमान रू.4440–7440+1300/– ग्रेड– पे (प्रारंभिक मूलवेतन रूपये 4750+1300/– ग्रेड पे) में 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर जिला कार्यालय भोपाल में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है ।

वेतन के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा वर्तमान में प्रचलित दरों पर भत्ते देय होंगे। सेवा अवधि के दौरान उभय पक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु दुराचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों के कारण सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा। यदि वे ऐसा न करे तो ऐसी राशि भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जावेगी।

मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक–21 सन् 1994) के उपबन्धों का और अधिनियम के उपबन्धो के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है, तथा अधिनियम की धारा–6 की उपधारा (1) के उपबन्धो का पूर्ण संज्ञान है।

यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा योग्य तथा चरित्र सत्यापन शासकीय सेवा के योग्य घोषित होने बाबत् चरित्र सत्यापन की शर्त पर की जाती है। उनकी सेवायें राज्य शासन द्वारा वर्तमान में जारी तथा भविष्य में समय–समय पर प्रसारित सेवा शर्तो के अध्याधीन होगी।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–9/3/2005/नियम/4, दि. 2.4.05 द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप अब मध्यप्रदेश शासन के अधिन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त शासकीय कर्मचारियों व अधिकारियों को दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे।

अधीक्षक
संचालनालय

उप संचालक (स्था.)
नगर तथा ग्राम निवेश

उन्हें आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में अपना कर्तव्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप निरस्त माना जावेगा। कर्तव्य ग्रहण करने के लिये उन्हें कोई यात्रा भत्ता भुगतान नहीं होगा।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 2816 / स्था / नग्रानि / 2014 भोपाल, दिनांक 16-6-14

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ। **श्री सुरेश बैगा** अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद के विरूद्ध की गई है एवं उनके द्वारा प्रेषित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इसकी जांच कर पुष्टि करने का कष्ट करें।
2. कलेक्टर, जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ। श्री सुरेश बैगा अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद के विरूद्ध की गई है एवं उनके द्वारा प्रेषित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इसकी जांच कर पुष्टि करने का कष्ट करें।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल।
4. श्री सुरेश बैगा ग्राम पो. सरईकापा थाना बुढ़ार तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल को सूचनार्थ एवं पोलनार्थ।
5. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, मुख्यालय, भोपाल।
6. व्यक्तिगत नस्ती।
7. रोस्टर लिपिक।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

अधीक्षक
संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
म. प्र.

उप संचालक (स्था.)
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल म.प्र.

esst/Sc.St. Posting order-2